तारीख पेशी	बनाम 2018/00292 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.09.18	पत्रावली वास्ते बहस क्षैत्राधिकार अपील हेतु पेश की। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने क्षैत्राधिकार पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने मूल वाद में वाद कारण स्पंष्ट रूप से व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं होने के कारण अधीनस्थ नयायालय द्वारा मूल वाद लौटाये जाने के आदेश दिये हैं जिसके विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं जो 223 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं इसलिए अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये जावें और अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का अवलोकन किया एवं अपील का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी, वाद पत्र में उल्लेखित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं लेकिन उसकी खातेदारी के समस्त रेकार्ड जैसे कि जमाबंदिया, राशनकार्ड, बैंक पासुबक आधार कार्ड आदि सभी एक लोहे की पीपे के बक्शे में रखे हुए थे जो दिनांक 03.09.2016 को चोरी हो गये एवं सभी दस्तावेज गुम होने का वादी को अन्य व्यक्तियों पर चुरा लेने का अंदेशा हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 उप–पंजीयन अधिकारी के समक्ष उक्त दस्तावेजात का दुरूपयाग कर रजिस्ट्री करा सकते हैं जिससे रोकने के लिए व्यादेश की अंतिम विकल्प हैं तथा वादी की भूमि को किसी भी रूप से रहन, हस्तातंरण बेचान नहीं करने एवं वादी के दस्तावेजो का दुरूपयोग कर वादी की भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करने लिए व वादी को उसकी भूमि से महरूम नहीं करने लिए स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद में वाद कारण स्पष्ट रूप से व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद लौटाये जाने के आदेश दिये है। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र केवल संभावनाओं के आधार पर प्रस्तुत किया हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को लौटाने के आदेश जो दिये वह विधि सम्मत हैं उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं, इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं। **अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**	